सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 830
17/07/2010

# विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा की : बाढ़ हो या सुखाड़ बिना भेदभाव के तत्काल पहुँचे सहायता :– मुख्यमंत्री

पटना, 17 जुलाई 2010 :– आज मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रदेशभर के सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करते हुये निर्देश दिया कि बाढ़ हो या सुखाड़– सभी प्रभावित परिवारों को बिना किसी भेदभाव के तत्काल समुचित सहायता पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

बैठक में मुख्यमंत्री के साथ राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, मुख्य सचिव श्री अनूप मुखर्जी, पुलिस महानिदेशक श्री नीलमणी एवं विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सचिव सर्वश्री चंचल कुमार एवं एस0 सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री ब्यास जी ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जहाँ प्रदेश के कुछ जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण सुखाड़ की संभावना पैदा हो गई है, वहीं प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। आसन्न बाढ़ एवं सूखा के मद्देनजर आपदा प्रबंधन से जुड़े राज्य सरकार के 20 विभिन्न विभागों की ओर से आवश्यक तैयारियाँ शुरू कर दी गई है तथा अद्यतन परिपत्रों और दिशा–निर्देशों को संकलित करते हुये राज्य स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसिज्योर) तैयार कर सभी विभागों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तीन बैठकें वर्तमान जुलाई महीने में की जा चुकी है तथा बिना भेदभाव के पूरी तत्परता से प्रभावित इलाके में समुचित सहायता शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद किये जाने वाले कार्यों, खासकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाके में आधारभूत संरचनाओं के ''बिल्ड बैक वेटर देन बिफोर'' के सिद्धांत के अनुसार पुनर्निर्माण हेतु परियोजना तैयार कर राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के तहत उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और इसके लिये तदनुरूप तैयारी भी की गयी है।

बैठक में कृषि, जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, स्वास्थ्य, गृह, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास ऊर्जा विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड के प्रधान सचिव/सचिव/वरिष्ठ प्रतिनिधि द्वारा बाढ़ एवं सुखाड़ के संबंध में उनके स्तर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गयी।

बैठक को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसिज्योर) तैयार करने और पूरी तत्परता के साथ आपदा प्रबंधन हेतु प्रभावी समन्वयन के लिये बधाई देते हुये कहा कि अब आपदा प्रबंधन के मामले में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिये। चुनावी वर्ष होने के कारण प्रभावी होने वाली आचार संहिता के बावजूद आपदा ग्रस्त लोगों को समुचित और तत्काल सहायता सुनिश्चित की जानी

है। इसके लिये हर स्तर पर पूर्व से ही समुचित तैयारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 की बाढ़ में प्रदेश के 22 जिले और ढ़ाई करोड़ आबादी प्रभावित हुई थी और वर्ष 2008 की कोसी त्रासदी के दौरान कई जिलों में विशेष जिलाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी और मेगा राहत शिविरों का जिस प्रकार संचालन किया गया, उसके अनुभव अच्छे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के कुछ दिनों में उन्होंने प्रदेश के कई इलाकों की यात्रा सड़क मार्ग से की है। इस वर्ष भी सामान्य से कम वर्षा होने के कारण खेतों में बिचड़े कम पड़े हैं और अधिकतर खेत खाली हैं। उन्होंने प्रतिवेदित वर्षापात एवं फसलों के आच्छादन के मद्देनजर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं भी अगले 24 घंटे में अपने इलाके का भ्रमण करें और विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को भी इस कार्य में लगायें तथा वर्षापात एवं फसलों के आच्छादन की वास्तविक स्थिति से राज्य सरकार को सोमवार तक अवश्य अवगत करायें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को प्रति लीटर 20 रूपये की दर से डीजल सब्सिडी देने का निर्णय ले चुकी है। धान के बिचड़े के लिये दो सिंचाई, इसके बाद की फसलों के लिये तीन सिंचाई और मक्का की फसल के लिये भी दो सिंचाई के लिये किसानों को डीजल सब्सिडी दी जा रही है और इसके लिये बजट प्रावधान भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डीजल सब्सिडी के अलावा बिहार बिजली बोर्ड द्वारा किसानों को निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। इन योजनाओं का पूरा–पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिये त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी भी सहभागिता प्राप्त करने और किसानों को आवश्यक सहायता समय पर उपलब्ध की आवश्यकता जताते हुये कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श कर वैकल्पिक फसलों की कार्ययोजना तथा ग्रामीण इलाके के लोगों को वैकल्पिक रोजगार दिलाये जाने का प्रयास किये जाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमण्डलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को बाढ़ अथवा सुखाड़ से प्रभावित इलाके के लोगों को हर स्तर पर तत्काल समुचित सहायता बिना किसी भेदभाव के दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुये विश्वास व्यक्त किया कि बिहार के किसानों को आसन्न आपदाओं से बचाने की हरसंभव कोशिश की जायेगी तथा आपदा की स्थिति में रेस्पांस टाइम न्यूनतम होगा।

******